

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)  
\*\*\*\*\*

**अधिसूचना सं.32/2021-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2021  
3 चैत्र, 1943 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्यां 31 /2021 -सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 18 मार्च, 2021 में, दिनांक 25 मार्च, 2021 से निम्नलिखित संसोधन करता है, अर्थात् :- उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची-1

| क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपया के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर |                        |
|-------------|---------------|---|------------------------|
| (1)         | (2)           | (3)   |                        |
|             |               | (क)   | (ख)                    |
|             |               | (आयातित माल के लिए)   | (निर्यातित माल के लिए) |
| 18.         | तुर्की लीरा   | <b>9.45</b>   | <b>8.85</b>            |

(फा.सं. 468/01/2021 सीमा शुल्क-V)

(बुलो मामु)  
अवर सचिव, भारत सरकार

